Title: Regarding relaxation of eligibility criteria for availing benefits under Ayushman Bharat Yojana.-laid

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): आज देश में चिकित्सा उपचार की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों की परेशानी निरंतर बढ़ती जा रही है । चूंकि, स्वास्थ्य मनुष्य का सबसे बड़ा धन है, इसलिए इलाज कराना लोगों की मजबूरी है । विश्वव्यापी कोरोना महामारी काल के दौरान प्राईवेट अस्पतालों में और भी अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा ।

यह हम सभी देशवासियों का सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा संचालित आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत देशभर में करोड़ों लोगों को चिकित्सा में बहुत बड़ी राहत उपलब्ध करवाई गई । लेकिन, इसके साथ-साथ विश्वव्यापी कोराना महामारी के काल में यह भी देखने में आया कि मल्टी सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालयों की कमी होने की वजह से मरीजों की एक बड़ी संख्या के कारण चिकित्सालयों में काफी अधिक भीड़ रही और उनके परिवार वालों को चिकित्सा उपचार के बड़े-बड़े बिल सौंप दिए गए, जिस कारण पीड़ित परिवारों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा ।

वर्तमान केन्द्रीय आयुष्मान योजना के अन्तर्गत 5 लाख रू0 की अनुग्रह राशि दी जा रही है । लेकिन, वर्ष 2011 के सेन्सेक्स के अनुसार बड़े पैमाने पर लोगों के नाम न होने और 300-400 स्क्वायर फीट के घरों में रहने वालों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है ।

अतः मेरा अनुरोध है कि आप 300-500 स्क्वायर फीट के घरों में रहने वाले लोगों को भी केन्द्रीय आयुष्मान योजना में शामिल किए जाने एवं निजी चिकित्सालयों द्वारा 2 लाख रू0 से अधिक की उपचार राशि के बिल, जिनकी पीड़ितों के द्वारा शिकायत किए जाने पर, उसकी राज्य एवं केन्द्रीय स्तर पर निगरानी किए जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि निरंतर महंगी हो रही चिकित्सा से लोगो को राहत मिले ।